

(To be published in part IV Delhi Gazette Extraordinary)  
DEPTT. OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT GOVT OF NCT OF DELHI  
1-CANNING LANE, K.G. MARG, NEW DELHI-110001

(Financial Assistance Section)

F.41(22)/DSW-WCD/FAS/Sch. Amend/09-10/ 14624-636 Dated.....

### NOTIFICATION

27 AUG 2013

**F.41(22)/DSW-WCD/FAS/Sch. Amend/09-10/** The Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the rules in respect of The National Capital Territory of Delhi Pension Scheme to Women in Distress in the age group of 18 to 60 years Rules, 2010, as published in the Delhi gazette vide Notification F.41(22)/DSW-WCD/FAS/Sch. Amend/09-10/26/11/2010, 31/03/2011 and 01/11/2012 as following namely:-

#### **1. Short title, extent and commencement:-**

(1) These Rules may be called The National Capital Territory of Delhi Pension Scheme to Women in Distress in the age group of 18 to 60 years(Amendment)Rules 2012.

#### **2. Amendment of Rule 5(2)(C)**

In Rule 5(2)(C) of the said Rules, after the words "Mahila Panchayats" these words shall be added, "self declaration by Muslim women in case of divorce".

This amendment would come into force from the date of notification.

(RAJIV KALE)  
DIRECTOR(WCD)

Dated.....

F.41(22)/DSW-WCD/FAS/Sch. Amend/09-10/ 14624-636

Copy forwarded to the following:-

1. Pr. Secretary to Lt. Governor of NCT of Delhi.
2. Pr. Secretary to Chief Minister, Govt of NCT of Delhi.
3. Secretary to the Speaker of Delhi Legislative Assembly, Delhi.
4. Secretary to the Dy. Speaker of Delhi Legislative Assembly, Delhi.
5. Secretary to the Minister of finance, Govt. of NCT of Delhi.
6. Secretary to the Minister of Health and Family Welfare, Govt of NCT of Delhi.
7. Secretary to the Minister of Education, WCD, SW and Language, Govt of NCT of Delhi.
8. Secretary to the Minister of Food & Supplies, Govt of NCT of Delhi.
9. Secretary to the Minister of Industries, Govt of NCT of Delhi.
10. Private Secretary to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
11. Secretary Department of Social Welfare & WCD, Govt of NCT of Delhi.
12. Special Secretary Department of Social Welfare & WCD, Govt of NCT of Delhi.
13. Guard file.

27 AUG 2013

(RAJIV KALE)  
DIRECTOR(WCD)

दिल्ली राजपत्र भाग 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग,

1— कैनिंग लेन, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली—110001

फा.स.41 / (22) / डीएसडब्ल्यू—डब्ल्यूसीडी / एफ.ए.एस. / स्कीम अमैड / 09-10 / १५८२५-६३६ दिनांक

## अधिसूचना

27 AUG 2013

फा.स 41(22) / डीएसडब्ल्यू—डब्ल्यूसीडी / एफ.ए.एस. / स्कीम अमैड / 09-10 / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निराश्रित महिला पेंशन नियमावली, 2010, जैसाकि दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या फा. 41 / (22) / डीएसडब्ल्यू—डब्ल्यूसीडी / एफ.ए.एस. / स्कीम अमैड / 09.10 / दिनांक 26 नवम्बर, 2010, 31 मार्च 2011, एवं 01 नवम्बर 2012, में निम्न संशोधन करने हैं।

### 1. संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवं प्रारंभ :-

(1) इन नियमों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 18 से 60 वर्ष तक की आयु समूह की निराश्रित महिला पेंशन (संशोधित) नियमावली, 2012 कहा जाएगा।

### 2. नियम 5(2)(ग) में संशोधन :-

कथित नियमावली के नियम 5(2)(ग) में “महिला पंचायत” के पश्चात निम्न जोड़ा जाता है :—  
“तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं द्वारा स्वयं घोपना पत्र”

यह संशोधन अधिसूचना के दिनांक से लागू होंगे।

(राजीव काले )

निदेशक (महिला एवं बाल विकास विभाग )

फा.स.41 / (22) / डीएसडब्ल्यू—डब्ल्यूसीडी / एफ.ए.एस. / स्कीम अमैड / 09-10 / १५८२५-६३६ दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित :—

- प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- प्रशान सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- सचिव, अध्यक्ष, विधान सभा दिल्ली।
- सचिव, उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा दिल्ली।
- सचिव, वित मंत्री, राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- सचिव, शिक्षा, भाषा, समाज कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- सचिव, उद्योग मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- सचिव, समाज कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग।
- विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग।
- गार्ड फाइल।

27 AUG 2013

(राजीव काले )

निदेशक (महिला एवं बाल विकास विभाग )